संख्या–6 एस०एस०(6) 29/2017–4064/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–20/12/2017.

XX
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

XX

द्वारा :– **वित्त विभाग।**

विषय :– **वित्तीय वर्ष–2017–18 में कुल ₹ 496.10 लाख (₹ चार करोड़ छियानवे लाख दस हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के अन्तर्गत पशुओं को अंतः कृमिनाशन दवा निःशुल्क पिलाने की योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 496.10 लाख (₹ चार करोड़ छियानवे लाख दस हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के अन्तर्गत पशुओं को अंतः कृमिनाशन दवा निःशुल्क पिलाने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न है।

2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुपालको द्वारा पाले जाने वाले पशुओं (छोटे एवं बड़े) में अंतःकृमि के कारण उनके स्वास्थ्य में होने वाले कुप्रभाव को रोकने तथा पशुपालकों को पशुधन के रूप में होने वाले आर्थिक क्षति से बचाने के लिए पशुओं को अंतःकृमिनाशन कराना है ताकि पशुओं के उत्पादन क्षमता पर कोई प्रभाव न पड़े। यह कार्यक्रम पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत ही पशुओं को अंतः कृमिनाशन दवा निःशुल्क पिलाया जायेगा। इस वर्ष 105 लाख छोटे–बड़े पशुओं को अतःकृमिनाशन दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित है।

3) वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के तहत होनें वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष–2403– पशुपालन– उप मुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–101 –पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, माँग संख्या–02 –उप शीर्ष–0101 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड– 02–2403001010101, के तहत विभिन्न विषय शीर्षो में

4) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी भी होंगे।

5) चुँकि यह एक नई योजना है। योजना लागत मूल्य रुपये 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3758/वि० दिनांक–31.05.2017 में सन्निहित वित्तीय प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस० (6) 29/2017 के पृष्ठ–05/टि०.

6) योजना अन्तर्गत पशुओं को कृमिनाशन दवा पिलाने हेतु **Dewormer Medicine (Fenbendazole 150 mg Tablet-61 lakh doses & Fenbendazole 1.5 gm bolus- 90 lakh doses)** का क्रय पशुपालन निदेशालय द्वारा दर एवं आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण निविदा के माध्यम से किया जायेगा। योजना अन्तर्गत विषय शीर्ष–0101.13. 01 –कार्यालय व्यय एवं 0101.26.01 –विज्ञापन और प्रकाशन मद की राशि योजना के कार्यान्वयन हेतु निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना एवं सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशक, पशुपालन द्वारा आवंटित किया जायेगा।

7) योजना अन्तर्गत अंतःकृमिनाशन कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु पशुपालन निदेशालय द्वारा विभाग की सहमति से विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश जारी किया जायेगा।

8) निदेशक, पशुपालन इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पूर्ण रूपेण जबावदेह होंगे एवं बिहार वित्त नियमावली के नियम–210 के अनुसार एक समिति गठित कर योजना की क्रियान्वयन की जाँच एवं समीक्षा कराना सुनिश्चित करेंगे तथा विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

9) राज्योदश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०– 6 एस०एस०(6) 07/2016 के पृष्ठ–07/टि० तथा डायरी सं०–77, दिनांक– 15.12.2017

10) वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(मधुरानी ठाकुर)

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2017– 4064 /पटना–15, दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/17

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2017– 4064 /पटना–15, दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/17

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2017– 4064 /पटना–15, दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/ सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/17

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2017– 4064 /पटना–15, दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/ योजना शाखा/ लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/17

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2017– 4064 /पटना–15, दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/17

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)29/2017– 4064 /पटना–15, दिनांक–20/12/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

20/12/17

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष–2017–18 में राज्य स्कीम के तहत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के अन्तर्गत पशुओं को अंतः कृमिनाशन दवा निःशुल्क पिलाने की योजना पर होने वाले संभावित व्यय का मदवार व्यय विवरणी :–

(राशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि (केन्द्रांश)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0101.13.01– कार्यालय व्यय	**2.00**	**निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना / निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना / सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।**	**सभी कोषागार, बिहार।**
2	0101.21.01– सामग्री एवं आपूर्त्तियाँ	**490.30**		
5	0101.26.01– विज्ञापन एवं प्रकाशन	**3.80**		
	योग :–	**496.10**		

कुल (₹ चार करोड़ छियानवे लाख दस हजार) मात्र।

4064
20/12/17

[signature] 19/12/17
सरकार के अपर सचिव